C48

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

375-425 H

क्रमांक :– एफ.5 (254) निपेवि / नियम / 2015 / पार्ट– I I   दिनांक :– 03-02-2016

1. कोषाधिकारी .... समस्त (राज0)
2. प्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक ....
....
.... समस्त बैंक

विषय :– 1. कम्युटेशन अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कटौती करने एवं
2.. 80 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त करने पर भी अतिरिक्त पेंशन का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– राजस्थान पेंशनर्स मन्च, जयपुर का पत्र दिनांक 05.01.16।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय बैंकों / कोषाधिकारियों द्वारा कम्यूटेशन की कटौती की अवधि पूर्ण होने पर भी पेंशन से कम्युटेशन की राशि की कटौती की जा रही है। इसी प्रकार पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष होने पर भी अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अतः पेंशनरों की राजकीय नियमानुसार / आदेशानुसार कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 14 वर्ष पूर्ण होने पर कम्यूटेशन की राशि की कटौती बन्द की जाकर पेंशन की पूर्ण बहाली (रेस्टोरशन) के आदेश जारी किये जाने चाहिए। जिन पेंशनरों / पारि0 पेंशनरों की आयु पी.पी.ओ. / एफ.पी.पी.ओ. में अंकित / निर्धारित जन्म तिथि के अनुसार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु होने पर राजकीय नियमानुसार / आदेशानुसार उनके प्रकरण में अतिरिक्त पेंशन के भुगतान करने के आदेश (स्लेब के अनुसार) जारी किये जाने चाहिए ताकि पेंशनर्स को उचित समय पर पेंशन परिलाभों का फायदा मिल सके। अतः इनकी समयबद्ध पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(के.के. गैडियोक)
निदेशक

Bhavna A